**11—09—2021**

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत पेश हुई। पुकार पर वादी उपस्थित।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत मामलें में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है। प्रस्तुत मामलें में वादी मुकदमा द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला नहीं पाते हुये प्रस्तुत मामलें में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। वादी मुकदमा द्वारा कोई विरोध याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने C.L.No31/2012/Admin-G-ll dated: Allahabad 11.12.2012, एवं C.L. No-96Vlll-B Dated: 19July 1971-One Month. See also C.L. No-10/VII-C/25 Admin(G) तथा Criminal Misc. Case No. 2520 of 2012(482 Cr.pc) Pradeep Kumar Shrivastava v. State of Uttar Pradesh में अन्तिम आख्या को एक माह और अधिकतम 3 माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। प्रस्तुत मामला कई बर्षो से लम्बित है वादी अपना वाद चलाना नहीं चाहता है। ऐसी दशा में इस स्तर पर इस अन्तिम आख्या को लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रस्तुत मामलें में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(कमल दीप),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।